पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी

लखनऊः 6 फरवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में संशोधन हेतु वर्तमान अध्यादेश जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-2 के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के पश्चात् निम्न उपखण्ड बढ़ा दिये गये हैं:-

(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो,

(9) जो विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो,

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति कूररता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उललंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो,

(11) वाणिज्यिक शोषण, बतालश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुव्र्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुव्र्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।

संशोधन के उपरान्त अब यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहा जायेगा।